

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2019 (Motion Adopted and Bill Passed).

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए”

श्रीमन्, मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को बधाई देने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ । आंध्र प्रदेश के लिए जो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन एक्ट 2014 बना था, उसमें यह प्रावधानित था कि उसमें एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा । श्रीमन्, जैसा कि आप जानते ही है कि यह देश शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में शिखर पर रहा है । तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय इस देश में रहे हैं । हमेशा इस देश के बारे में एक उक्ति रही है, जिसमें कहा है कि ‘एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः’ सारी दुनिया के लोगों ने हमारे देश में आकर के शिक्षा ग्रहण की और उसका हमेशा अनुसरण किया ।

श्रीमन्, शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है । शिक्षा ठीक होगी तो पूरा तंत्र ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, समाज ठीक होगा, देश ठीक होगा और मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा उन्नयन की दिशा में बहुत गंभीरता से ध्यान केन्द्रित किया है । सभी दिशाओं में चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में तमाम प्रकार के शोध हों, उस दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए, इस देश को फिर से ऊँचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है । उसी संकल्प के साथ आज इस विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए सदन में लाए हैं ।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की 13वीं अनुसूची में सभी बातों के होते हुए, ये दो विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए 491.23 एकड़ और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 525.08 एकड़ भूमि देने की पेशकश की थी। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी एक चयन समिति को वहां भेजा था और उस समिति ने सभी स्थानों को देखने के पश्चात् अनन्तपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विजयनगरम जिले में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। उसको मंत्रालय ने स्वीकार किया और उसकी डीपीआर बनाने के लिए 'एडसिल' को निर्देशित किया। 'एडसिल' द्वारा डीपीआर बनाने के बाद व्यय वित्त समिति से इसका अनुमोदन हुआ और मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति दी है और दोनों विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए सहमति दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मई, 2018 को, जो आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की दिशा में पहले चरण में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और जब तक विधिवत यह एक्ट पास होता है, तब तक इसको एक अस्थायी परिसर में चलाने की सिद्धान्ततः सहमति दी थी। उसी समय केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 संसद में भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ जो जनजातीय विश्वविद्यालय बनना था, उसके लिए भी 8 नवम्बर, 2018 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दिया था और इसके प्रयोजन के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान भी किया।...(व्यवधान) पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय है, दोनों अलग-अलग हैं। पहले के लिए 450 करोड़ रुपये और दूसरे के लिए 420 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।...(व्यवधान) फिर हमने संयुक्त रूप में आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2018 को हम लेकर आए और 14 दिसम्बर, 2018 को यह विधेयक सदन में प्रस्तुत भी हुआ। उसके बाद वर्ष 2018 चला गया तो वर्ष 2019 आया। चूंकि इसमें संशोधन जरूरी था, इसलिए तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार ने उसे संशोधित भी किया और संशोधन करने के बाद वर्ष 2019 में 28 जनवरी, 2019 को संशोधित करते हुए, 12 फरवरी, 2019 और

13 फरवरी, 2019 को इसे लोक सभा में विचार के लिए लाया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी। 16वीं लोक सभा का विघटन हाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। जब 17वीं लोक सभा आई, चूंकि इसके लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन जरूरी था, हमारी सरकार ने मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक में इन दोनों को अनुमोदन दिया, जिसके बाद हम इस विधेयक को पिछली तारीख में लेकर आए। 8 जुलाई को यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, उसके बाद आज हम इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करने आए हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के उन्नयन की दिशा में, ... (व्यवधान) शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने यह सशक्त और सबल कदम उठाया है और हम आज इस विधेयक को यहां लाए हैं।

जब आंध्र के इतिहास में एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय और एक केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाए और फिर इसको पास किया जाए।

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration.”

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on this important Bill, the Central Universities (Amendment) Bill, 2019, further to amend the Central Universities Act, 2009.

Sir, we are going to discuss a very important Bill in this august House. The Bill seeks to amend the Central Universities Act, 2009 to establish two Central Universities in Andhra Pradesh. Apart from Goa, Andhra Pradesh is the only State in India which does not have any

Central University. The establishment of the Central University in Andhra Pradesh is mandatory under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

According to the Bill, the objective of establishing two universities will increase access and quality of higher education and also promote avenues of higher education and research facilities for the people of Andhra Pradesh. But, there is nothing special in this Bill. It has an unclear Statement of Objects and Reasons. There is no mention of funding pattern for universities.

HON. CHAIRPERSON: You do not have it in the Bill. The detailed funding is never done in the Bill.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, ensuring quality education and reducing funding in Central Universities remains a big issue. These are lacunae in this Bill. The Government wants to promote higher education by establishing new Central Universities in all parts of the country, especially, in backward areas. This Bill does not give details of establishing both the Universities. It only states: “The aim would be to enhance education and research in two Universities.” For example, there is no mention about the curriculum and administration of the Universities.

As far as establishment of the Tribal University is concerned, it is unclear whether the University would be reserved for tribals or not. What percentage of tribal population will get the benefits of this University? In what way the university will promote advance knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs and advancement in technology to the tribal

population of India? It is also unclear. The Bill is silent on crucial details like separate curriculum of the University.

The NDA Government is known for reducing grants for Central University. Besides that, the NDA Government has unduly interfered with the administration of many Universities in India. There have been attempts to re-formulate curriculum for these Universities.

The Central Universities in India are vastly understaffed. As on July, 2018, a total of 12 Central Universities, out of 40, have more than 75 per cent vacancy of professors, while for two of the Universities, the vacancy is 100 per cent. For example, the Central University of Haryana and Odisha have 10 per cent vacancies of professors.

I would like to give some examples. The Central University of Orissa in Koraput, Odisha is one of the 15 Central Universities established by UPA Government during the UGC XI Plan period to address the concerns of 'equity and access' and as per the policy of the Government of India,. ...(*Interruptions*). I would not like to go through all the Universities. I would only like to give some examples regarding the number of sanctioned posts and vacant posts in the Central University of Orissa. Sanctioned posts of Professors are 23 and Professors posted are nil.

HON. CHAIRPERSON : That was the position as on 1st April, 2018.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: These are the details according to the various papers available in the library also. Sanctioned posts of Associate Professors are 43 and only one Associate Professor is posted; 42 posts are lying vacant. Sanctioned posts of Assistant Professors are 88 out of which 16 Assistant Professor are posted; 72 posts are lying

vacant. This is the position in the Central University of Orissa. ...
(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : I think, this is the reply which the former Minister Shri Prakash Javadekar has given in this House in the last Lok Sabha. When he was HRD Minister, he had given this answer in this House.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Till now, that is the situation; there is no change. No appointment has been done so far.

I wish to highlight the serious lapses that the Government is conveniently side-lining. Higher education is the key and the gateway to the nation's progress. The allocation for higher education needs to be in parallel with the increase in Gross Enrolment Ratio (GER). As per the All India Survey on Higher Education 2017-18, Gross Enrolment Ratio in higher education in India is 25.8 per cent, which is calculated for 18 to 23 age group. In 2016-17, the GER was 25.2 per cent.

Based on the increased ratio, I reiterate the position of Kothari Commission that six per cent of GDP must be allocated for education sector. The fact however remains that the share of spending in education in the whole Union Budget has decreased from 4.6 per cent in 2014-15 to 3.5 per cent in the Interim Budget 2019-20.

The spending on education sector as a percentage of GDP has reduced under the NDA Government in the past five years. The Ministry of Education, renamed as the Ministry of Human Resource Development, failed to spend over Rs. 4 lakh crore made available to them between 2014-15 and 2018-19, failing to meet the budgetary targets. According to a report of the Centre for Monitoring Indian

Economy, the underspending by the NDA Government was nearly 17 per cent in 2014-15, which was the highest in the last 10 years. In the Central Universities, we have to ensure the quality of education.

In Kerala also, a Central University is established in Kasargod. It is a very backward district. In that Kerala Central University, a serious problem is being faced by the teachers. A large number of vacancies are vacant there. Our Ministry has not taken note to fulfil the teachers' vacancies. Without teachers, without professors and without associate professors, how can they run the University?

HON. CHAIRPERSON : Your point is taken. You have another Member from your party to speak.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Yes Sir, I am concluding. I am not going into the details.

In Central University of Kerala, the BJP leaders have promised one thing. It is not only the BJP leaders but also the Ministers who have promised to change the name of the Central University as Narayana Guru University. This was the promise. But so far, no action has been taken.

So, I would like to request the hon. Minister to rename the Central University, Kasargod as Sree Narayana Guru University.

Hon. President of India in his speech has mentioned about Sree Narayana Guru. So, if you want to honour us, please honour Sree Narayana Guru and rename the Central University.

I have the last point. Sri Ayyankali is a great social reformer in Kerala. During the UPA Government period, Ayyankali Chair was

established in Kasargod Central University. After that, the NDA Government came to power. This Chair was cancelled. So, I would like to request the hon. Minister to reinstate that Chair and sanction sufficient fund for this Chair so as to make students aware of this great social reformer.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Hon. Chair has asked another Chair to sit down!

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am concluding Sir.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: One Chair has asked another Chair to sit down! ...*(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am talking of the Central University Chair. ...*(Interruptions)*

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Your mike is off!*(Interruptions)*

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I can put the mike on. ...*(Interruptions)*

In my Constituency, there is one Raja Ravi Verma Arts School. That school can be taken over by the Central University.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय सभापति जी, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल में यह बहुत ही साधारण-सा संशोधन है । जब प्रारंभिक तौर पर मैंने इस बिल को देखा, तो मेरे दिमाग में एक राजनीतिक विषय आया कि आखिर हमारी सरकार, जो देश की सरकार है, हमारी जो कल्पना है आंध्र प्रदेश के बारे में, बंटवारे के बाद हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के लिए जो भी तय किया,

आज उसका परिणाम है कि हमारी सरकार के प्रति जो आस्था है, देश के प्रधान मंत्री के प्रति जो आस्था है, वह दिखता है । जिन लोगों ने प्रधान मंत्री की आस्था पर ठेस पहुँचाई, आज न तो वे राज्य सरकार में हैं और न ही उनके कोई सदस्य यहाँ बैठे हैं । ... (व्यवधान) इसे देश की जनता समझती है । देश के प्रधान मंत्री की इस निष्ठा को जब-जब कोई चुनौती देगा, तब तक उसका जवाब इस देश की जनता इसी तरह से देगी ।

यह बिल बहुत अच्छा है । इसके माध्यम से नौ सौ करोड़ रुपये एक ट्राइबल और एक जनरल यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए हैं । स्थान भी अच्छा चुना गया है, यह भी बेहतरीन है । इस विषय पर थोड़ा इतिहास में जाना आवश्यक है ।

859 ए.डी. में दुनिया की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज थीं, वे मोरक्को में थीं और उसके बाद इटली की बुलगाना यूनिवर्सिटी थी । हमारे देश में वैदिक एज़ से, हजारों वर्षों से हम लोग इस परम्परा को लेकर चल रहे हैं । वैदिक एज़ के बाद मॉडर्न एजुकेशन एज आया, जो ब्रिटिशर्स के समय था । ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में आई और उसने अपने उद्देश्यों के लिए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की ।

15.00 hrs

सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 1781 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी । उसके बाद बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की । बंगाल का पुराना इतिहास रहा है । दादा, let's listen. आज बंगाल की भूमिका में भले ही परिवर्तन हो चुका हो, लेकिन देश के इतिहास में बंगाल की बड़ी भूमिका है । फोर्ट विलियम कॉलेज सन् 1800 में स्थापित हुआ । Now, these figures और भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय । महोदय, अगर मंत्री जी को बोलने के लिए छोड़ दिया जाए तो हम लोगों को बोलने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि विषय पर असली ज्ञान तो इनका है जो इस कुर्सी पर बैठे हैं और उनको सुनकर सच में अच्छा लगता है । तक्षशिला विश्वविद्यालय जो आधुनिक पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास स्थित है वह सातवीं शताब्दी में बना । नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, हम लोगों के लिए

प्रिय है । विश्वविद्यालय के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 450 ईसवीं में, उदानपुरी बिहार 550 ईसवीं में, सोनपुर बांग्लादेश में है, जगदला पश्चिम बंगाल में है । बंगाल तो हमेशा कमाल करता रहा । नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, विक्रमशिला बिहार में है । निशिकांत जी यहां नहीं है । वहां भी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्वीकृति हुई है । वल्लभ जी गुजरात में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनारस विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, मनिखेत कर्नाटक में, शारदा पीठ कश्मीर में, पुष्पागिरी, ओडिशा में, यह हमारे इतिहास में है । सन् 1857 के बाद 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ बने । दादा ने सही कहा - मुंबई, कोलकाता और मद्रास में । यह सब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर था तो भारत का उसमें बहुत खास योगदान नहीं था ।

महोदय, अब जिस विषय पर मैं आ रहा हूं, वह यह कि भारत में आजादी के तुरंत बाद 20 विश्वविद्यालय और लगभग 496 कॉलेज थे, लेकिन अगर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हम पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं और ऐसे ऐसे कॉलेजें भारत में हैं जिनमें से एक भी कॉलेज के सिलेबस में एक शब्द का भी परिवर्तन पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ । वहां उसी तरह की पढ़ाई चल रही है । हम आज केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी गुणवत्ता के साथ विश्वविद्यालय अध्यापन के लिए भारत सरकार और मोदी जी चिंतित हैं । अलग से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, जो अभी तक 14-15 हैं और दो की आज स्वीकृति प्राप्त होगी । सन् 1956 में यूजीसी की स्थापना इस उद्देश्य से हुई कि एक स्टैंडर्ड बने, मॉडल एजुकेशन बने । आज की तारीख में लगभग 700 विश्वविद्यालय और 40 हजार कॉलेजेज़ पूरे भारत में हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जब भारत में इतने सारे कॉलेजेज़ हैं, जिन पर लगभग 43 हजार करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होता है, फिर भी बड़ी संख्या में भारत के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ते हैं । यह एक बड़ा विषय है और इसके बावजूद आज भारत के विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं । आपने भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है । हायर एजुकेशन में भी शिक्षा हेतु कई सारे कमीशन बनाए गए हैं । आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ बच्चे

विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं । भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है । वास्तव में यह संख्या बहुत बड़ी है ।

माननीय मंत्री जी, ये आंकड़े इसलिए हैं, क्योंकि जिस विषय पर मैं पहुंचने वाला हूं उससे आप समझ सकें कि आखिर चिंता का कारण क्या है और भारतवर्ष में क्या हो रहा है? हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं, उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ 66 लाख है । अभी हमारे भारत में लगभग 700 कॉलेजेज़, यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड हैं । हायर एजुकेशन में लगभग 37 हजार एफिलिएटेड कॉलेजेज़ और 12 लाख 84 हजार शिक्षक हैं । जो भी बजट है, उसका 80 प्रतिशत सैलरी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अध्यापकों को दे देते हैं ।

महोदय, मैं कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का महत्व नहीं समझता था, तो मैंने एक टीम बनाई और कहा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों से संपर्क करें । मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भारत के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की संख्या जानकर कि जितने बच्चे विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, उसके तुलनात्मक तौर पर बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं । जब कोई कॉलेज का बच्चा आकर मुझसे कहता था कि बड़ी चिन्ता है, एग्जाम्स टाइम पर नहीं हो रहे हैं, डिग्री नहीं मिल रही है, तो मैं हर बार सोचता था कि यह तो उस कॉलेज का विद्यार्थी है ही नहीं, जिसकी यह बात कर रहा है । कभी मैंने इसकी पढ़ाई नहीं देखी है, तो इसे सर्टिफिकेट की चिन्ता क्यों हो रही है?

इसे सर्टिफिकेट की चिन्ता क्यों हो रही है? उसे सर्टिफिकेट की चिन्ता इसलिए हो रही है कि वह बच्चा कॉलेज में दाखिला लेता है, उसके बाद जब परीक्षा आती है, वह रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने बैठा रहता है । अगर उसे किसी नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए । उसकी पढ़ाई तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रही है । बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे माननीय अध्यक्ष जी का शहर इसके लिए प्रसिद्ध है कि कोई बच्चा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता है और सीधे कोटा के लिए रास्ता पकड़ लेता है । यह गलत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है । लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में एक परिवर्तन आया है । मेरे दिमाग में तो यह आया है कि

कॉलेजेज के बिल्डिंग्स खाली पड़े हैं, अगर सचमुच डिग्री ही देनी है तो आप ऐसे कोचिंग कॉलेजेस के लोगों को बुला लीजिए और उनसे कहिए कि इतने क्लास रूम्स खाली हैं, आप बिल्डिंग करके इतने बच्चों को क्लास में ले आइए, हम आपको बिल्डिंग फ्री में दे देंगे, आप बच्चों को कॉलेज में ले आइए । अगर आप देश के कोचिंग वालों को कह दीजिएगा कि ये भव्य बिल्डिंग्स, जिनके बड़े-बड़े अहाते हैं, फुटबाल ग्राउण्ड्स हैं, उनमें बच्चों को लाने के लिए कोचिंग क्लासेस वालों को अनुमति दे देंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिल्डिंग में पढ़ा सकते हैं तो जो बच्चे देश भर के कॉलेजेस के कैम्पसेस को छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, वे वापस अपने कैम्पस में लौट आएंगे । अब सोचने का समय आ गया है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है? पूरे भारत में 40 बिलियन यूएस डॉलर की ट्यूशन इंडस्ट्री है और 35 परसेंट सीएजीआर है । Compounding growth of admission and teaching in private institutions of coaching categories is 35 per cent. आजकल तो वेबसाइट्स आ गई हैं, एड्यूकार्ट, ब्रिजेज और भी कई नाम हैं, जिनमें आप चले जाइए तो यह बताएगा कि यह कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है । सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ 15 बना देंगे, 20 बना देंगे, हम प्रधान मंत्री जी से आग्रह करेंगे तो वे 30 बना देंगे ।

माननीय सभापति : सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ अभी 40 हैं और ये दो और बन रहे हैं ।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं यह कह रहा हूं कि 40, 50 या 60 बना देंगे । आखिर पूरे भारत के विश्वविद्यालय के कॉलेजेस ठीक नहीं हैं तो हम कैसे इसको स्टैंडर्डाइज़ करेंगे, इसमें क्वालिटी एक्सीलेंस लाएंगे । आखिर देश में यह कब तक चलता रहेगा? मैं यह नहीं कहता हूं कि सब जगह पढ़ाई खराब है । मैं पंजाब विश्वविद्यालय से पास करके आया हूं और मैं जानता हूं कि वहां की पढ़ाई उस समय तक अच्छी थी और आज भी अच्छी होगी । लेकिन कई सारे विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, मैं अपनी आंख से देखता हूं कि कॉन्स्टीट्यूट कॉलेजेस के कमरे खाली हैं, एफिलिएटिड कॉलेजेस के कमरे खाली हैं, परीक्षा के समय फॉर्म भरने के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगती हैं । संजय जी बैठे हैं, नित्यानन्द जी बैठे हैं और हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से पहले लम्बी लाइनें लगती थीं । मैं

यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं राजनीति में चला आया । मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं पाया । मैं पटना के एएन कॉलेज में लेक्चरर बना । मैं तीस साल से राजनीति में हूँ और आज भी छुट्टी पर हूँ, यह दूसरा विषय है । आज भी लेक्चरर हूँ । NSSO data says that one out of every four students in this country goes for a tuition. The total number of children who go for tuition in this country is 7.1 crore, which includes four crore boys and three crore girls. This is the number of children going for tuition. इसमें भी स्टडी ग्रुप्स । किस तरह से ट्यूशन होता है, यह सब लेजिटिमेट है और हम सबके घरों से बच्चे जाते होंगे, हमारे परिवार के बच्चे जाते होंगे । क्लासरूम में स्टडी ग्रुप्स हैं, होम ट्यूटोरियल्स हैं । 3500 करोड़ रुपये की ऑनलाइन शिक्षा है । देश के प्रधान मंत्री को बधाई देना होगा कि आप सब अकेडमिक ट्यूशन के हैं, नॉन अकेडमिक ट्यूशन में अगर भारत का सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसमें है, नॉन अकेडमिक का पूरे भारतवर्ष में योग टीचर का है । यह बहुत ख्याति की बात है । कम से कम स्ट्रीम बदलकर लोग योग की तरफ जा रहे हैं । अधीर जी, आप हंसें नहीं, यह सचमुच में एक बड़ी बात है । भारत की सरकार आज 33 हजार करोड़ रुपये उच्च शिक्षा पर खर्च कर रही है ।

15.10 hrs

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

आपने सात-आठ हजार करोड़ रुपये बढ़ा भी दिए हैं । महोदया, आपके यहां का भी विश्वविद्यालय हम लोगों के बगल में है और हम लोग जानते हैं । 55,000 करोड़ रुपयों के आसपास प्राइमरी शेड्यूल है । लगभग 85 हजार करोड़ रुपये हम लोग इस देश में शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं । मंत्री जी, मैं ठीक कह रहा हूँ । इस बार के बजट में आपने लगभग इतना ही दिया है ।

मैं अब थोड़ा बिहार पर आ जाता हूँ । बिहार में भी तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कहा गया था । एक तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें काम शुरू हो गया है, वह बहुत अच्छा चल रहा है । उसे आगे भी मजबूती देनी चाहिए । उसके बाद हमारे यहां महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, राधा मोहन सिंह

जी, मोतिहारी से सांसद हैं, भारत की सरकार और प्रधान मंत्री जी ने पैकेज में दिया है। लेकिन श्रीमान्, एक विश्वविद्यालय अटका हुआ है।...(व्यवधान)

श्रीमान्, मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है कि हम लोगों ने तक्षशिला के बारे में कहा है, भागलपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहा है। पूरी दुनिया में पहला वाइस चांसलर अगर कहीं हुआ है, तो वह तक्षशिला में हुआ है। उस समय के जो वाइस चांसलर थे, वह वाइस चांसलर बिहार से आए और जो नालंदा यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था, जो शिक्षा को कंट्रोल करता था, वह तक्षशिला में था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सन् 1194 में जब तक्षशिला में आग लग गई थी, उसी समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना लंदन में हुई थी। यह एक इतिहास है। अब मैं उस पर लौटकर आता हूँ।

मंत्री जी, आप इतने खुशदिल हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। सारण जिला, छपरा, बिहार जहां से मैं आता हूँ और देश के प्रधान मंत्री जी के कारण, मैं कभी-भी 25-30 हजार और 10,000 वोटों से जीतता था, लेकिन इस बार 1,32,000 वोटों से जीतकर आया हूँ। कभी सवाल ही नहीं होता था और हम तो लड़ते रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह छोटा बिल है, इसलिए किसी और को भी समय देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ। मंत्री जी भी मेरा समय खा गए हैं और श्रीमान् जी ने भी मेरा समय ले लिया है। उधर जो बैठे हैं, श्री प्रेमचन्द्रन जी ने मेरा समय ले लिया और मैं चीफ व्हीप की बात को नहीं काट सकता हूँ। चीफ व्हीप ने 10 मिनट के लिए कहा है और मुझे बोलते हुए अभी 8 मिनट हुए हैं।

माननीय सभापति : आपको 14 मिनट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, आपको अपनी घड़ी को ठीक करना होगा ।...(व्यवधान) मुझे दो मिनट और दे दीजिए । अगर विषय बीच में ही रह जाएगा, तो इतने बड़े पार्लियामेंट का उपयोग कैसे होगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, मैं उनकी भी बात को समझा देता हूं ।... (व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि सारण, छपरा, बिहार, गंगा, घाघरा, गंडक के निकट जय प्रकाश विश्वविद्यालय है । महोदया, जय प्रकाश जी के बारे में आपको क्या बताना है । डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वहीं से थें । वहां जय प्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है । आप हमको कुछ मत दीजिए । आप मुझे सेन्ट्रल स्कूल का एडमिशन भी मत दीजिए । श्रीमान्, जय प्रकाश विश्वविद्यालय पर एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव सरकार को दे दीजिए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, बहुत अच्छी बात है ।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, हिना जी बैठी हुई हैं और यहां पर सब हमारे माननीय सांसद बैठे हुए हैं । पटना विश्वविद्यालय अच्छा विश्वविद्यालय है, वहां की भी मांग है । जब इसको मांग रहे हैं, तो पटना विश्वविद्यालय का भी दे दीजिए । यह बहुत पुरानी मांग है । देश में पटना विश्वविद्यालय का बहुत नाम है । वहां पर पिछले साल राष्ट्रपति जी गए थे ।

महोदया, आप दिल के बड़े हैं और देश के प्रधान मंत्री किसी भी अच्छे काम के लिए, आपने सुना होगा कि पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि जहां 700 का टारगेट था, उसको 1400 कर दिया था ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद, प्रोफेसर सौगत राय जी ।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, देश में गुणवत्ता के साथ शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि और भी केन्द्रीय विद्यालय चाहिए । मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सभी सांसदों के साथ यह मांग करूंगा कि पटना विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए । इसके साथ ही साथ जय प्रकाश विश्वविद्यालय जहां पर हमारे क्षेत्र और पूरे सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के बच्चे पढ़ते हैं ।... (व्यवधान) देश के पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी और जय प्रकाश जी की वह धरती है । आप वहां के बच्चों के लिए हमें एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय दे दीजिए ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको दे दिया ।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, हमारे नित्यानन्द जी की भी हामी है, संजय जायसवाल जी की भी हामी है और पूरे सदन की भी हामी है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बिहार का उद्धार कर दीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, अतः मेरा आपसे आग्रह है कि एक प्रस्ताव बनाकर दे दिया जाए ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2019. This Bill proposes to set up two new universities in Andhra Pradesh – one general and one for the tribals. This is part of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. I thank the hon. Minister for fulfilling the commitment made in this Act. Andhra Pradesh has bled from partition and so, it should be made up.

The Minister has allocated Rs. 450 crore for one university and Rs. 420 crore for another university in the first phase. More money will be allocated later.

This tribal university will be the first tribal university in India. So, we have to devise new courses, especially on tribal anthropology, social anthropology etc., and I am sure that all that will be done very well.

I have one difference with the concept of Central Universities being confined to one State. I feel that a university means *Vishwavidyalaya* where you bring the whole world's knowledge to one place. I feel that a Central University may be in a State, but it should appeal to the whole country and students from all over the country should come to the Central University. That will be the model. For example, Delhi University is the best university in the country and students from all over the country are coming here. It is a Central University, but cut-off marks for admission are 99 per cent or 99.5 per cent. Unless the Delhi University increases the number of seats in the colleges, this terrible pressure on Delhi University will stay.

There is another university in Delhi, Jawaharlal Nehru University, which truly attracts students and scholars from all over the country. The Government does not like it because it has the likes of Kanhaiya Kumar and others, but I think, it is an excellent centre for studying social sciences and other sciences.

While speaking on this Bill, I may say that there is only one Central University in Bengal – Visva-Bharati University. It is a legacy of the freedom struggle. Gurudev had requested Mahatma Gandhi to take over Visva-Bharati. Mahatma Gandhi had requested Jawaharlal Nehru and that is how Visva-Bharati University came into being, but now that

University is in a very bad state. There are infinite number of vacancies for the posts of teacher. So, Visva-Bharati University should be looked after quickly. There is a demand for another full-fledged Central University in Bengal. I would request the Minister to give attention to the same.

Lastly, I want to say a word about curriculum. I read in the newspapers two days back that a university in Nagpur is including the history of RSS in the curriculum. I am strongly opposed to this. RSS was not a part of our freedom struggle and its history should not be taught in universities and colleges. They did not participate in Quit India Movement, nor in the 1930s movement.

Another thing is that Jawaharlal Nehru had said that universities should foster scientific temperament. Pseudo-sciences like astrology should not be taught in the universities, whatever be the Minister's personal inclination. I want the new universities to be real centres of modern scientific knowledge in both science and humanities. Only then, the purpose for which so much money is being spent will be fulfilled. Let the universities work not to the RSS agenda but work to the national agenda.

Thank you.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, इनको केवल आर.एस.एस. ही दिखाई देता है । ... (व्यवधान) आप आर.एस.एस. का नाम हटवा दें ।

माननीय सभापति : कोई बात नहीं है । दिखने दीजिए न, दिखते-दिखते तो ऐसा हो गया है ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I thank the Chair for giving me this opportunity to speak on this Central Universities (Amendment) Bill, 2019.

On behalf of the YSR Congress Party, we welcome this Bill as it helps my State of Andhra Pradesh. As Andhra Pradesh was divided after 2014, we were left with no Central University in our State, but after passing of this Bill, we will be having one Central Tribal University and also a Central University established in our State in the coming years.

Everyone sitting here will agree to the point that a Central University should attract students from across the country, faculty from across the globe as well as establish modern laboratories and do research which will take the society and the country forward. We all agree to that.

We should all remember that the State of Andhra Pradesh was divided in the year 2014. After the State got divided, we waited for almost four and a half years for this to happen. These two Universities have already been functioning for the last one year in Andhra Pradesh. They do not have the legal sanctity till now. But with this Bill, they are getting the legal sanctity.

I want to make a few more points, through the Chair, to the hon. Minister here. The Ministry of Human Resources Development has sanctioned Rs. 420 crore three years back to the Central Tribal University. Last year the Vice-Chancellor sent a DPR for almost Rs. 952 crore. So, I urge upon the Minister, through the Chair, to re-do the sanction that the MHRD has done.

In 2018, the MHRD has allocated Rs. 10 crore in the Budget and this year it has allocated Rs. 8 crore in the Budget to run the Central

Tribal University, which is supposed to attract faculty and students from across India. So, I urge upon the Minister, through you, to be more liberal, to be more magnanimous towards the University. Where is Rs. 952 crore that was asked for and where is Rs. 10 crore that is being allocated every year? We want this to be hastened up so that we can establish the infrastructure sooner or later.

In Andhra Pradesh the literacy among Scheduled Tribes who should be getting into these Universities is around 46 per cent whereas the national average is almost 59 per cent. Why am I mentioning this? We established Ekalavya schools in areas where tribal population is more. The Budget that is allocated for these schools, where tribal students will go, get educated and do the further education in the universities, in 2017-18 was Rs. 241 crore. But somehow in 2019-20 Budget you have reduced the Budget from Rs. 241 crore to Rs. 31 lakh. If I am wrong please correct me. If the Budget is allocated under some other Head, please correct me. ...(*Interruptions*) Give me one more minute. I will complete my speech. So, you please correct me if I am wrong. Unless we strengthen the schooling system where the students can go, study and then go for further studies, we cannot expect the Central Tribal Universities to be successful.

The hon. Minister has already accepted that 500 acres of land has been allocated in Ananthapur. But this Central University is conducting only one course, which is B.A. (Political Science) and some vocational courses. So, we expect the University to run with few more courses wherein faculty and students can actually come in and take their research forward.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया। आंध्र प्रदेश री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 2014 के तहत यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश को सैंक्शन हुई है। मैं माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर का अभिनन्दन करता हूँ, क्योंकि पिछले पाँच साल से हमारे आंध्र प्रदेश के सदस्य इसकी डिमांड करते थे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को जो-जो कमिटमेंट दिया है, वह भी आप आने वाले दिनों में पूरा करें।

महोदया, हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट के दौरान इस सभाग्रह को संबोधित करते हुए बताया कि इस साल के बजट में हम विदेश के स्टूडेंट्स को भी अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करेंगे और देश के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि विदेश के स्टूडेंट्स से ज्यादा हमें अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस बिल पर हो रही चर्चा के माध्यम से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को माननीय एचआरडी मिनिस्टर के सामने रखना चाहता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कलिना कैंपस है, उसकी हालत बहुत खराब है। मुंबई यूनिवर्सिटी का इतिहास 162 वर्ष पुराना है, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी को 162 वर्ष हुए हैं। वहाँ पर प्रोफेसर के 86 पद हैं, जिनमें से 59 पद खाली हैं। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के 129 पद हैं, जिनमें से 57 पद खाली हैं। इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारे पद रिक्त होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। इसका कारण यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है और वाइस चांसलर वहाँ पर कान्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर्स को नियुक्त करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत उन्हें पेमेंट देना पड़ेगा, इस कारण वे सभी प्रोफेसर्स को कान्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। मैं एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि

मुंबई यूनिवर्सिटी में जो भी पद रिक्त हैं, उन पदों पर प्रोफेसर्स की नियुक्ति जल्द की जाए । मुंबई यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल फण्ड की जरूरत है । मुंबई यूनिवर्सिटी के रीडेवलपमेंट, कलिना कैंपस के रीडेवलपमेंट का प्लॉन ऑलरेडी सब्मिट हुआ है और उसका 500 करोड़ रुपये का बजट है । मुंबई यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी राशि नहीं है । मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 500 करोड़ रुपये का स्पेशल फण्ड मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया जाए । मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिस्टेंस एजुकेशन फण्ड के लिए भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एप्लाई किया है । स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कलिना कैंपस में बनना है, वह प्रपोजल भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है । मुंबई यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स चालू करने का प्रस्ताव भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मुंबई यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ । अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी का 2-3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर्स चेकिंग का काम मैनुअल होता था, अब पेपर्स चेकिंग का काम ऑनलाइन होने लगा है और यह काम ऑनलाइन होने की वजह से बीच में 2-3 साल स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई थी । जो ऐडमिशन का प्रोसेस है, उसमें भी ऑनलाइन का एक स्कैम सामने आया और उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी । इन सब चीजों की इंकवायरी मिनिस्ट्री के माध्यम से होनी चाहिए ।

अंत में, मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिव सेना नेता हमारे आदित्य ठाकरे जी, जो युवा सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी का इश्यू बार-बार एचआरडी मिनिस्टर के सामने भी रखा है, केंद्र सरकार के सामने भी रखा है । मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए । मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, 40 परसेंट रेवेन्यू मुंबई से सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जनरेट होता है, तो यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मुंबई के लिए स्पेशल फण्ड देना चाहिए और स्पेशियली मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका इतिहास 162 वर्ष का है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से फिर एक बार एचआरडी मिनिस्टर से अनुरोध करता हूँ कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो-जो प्रपोजल्स हैं, उन्हें तुरन्त मंजूरी दी जाए। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Madam. There is nothing much to say about. This Bill relates to Andhra Pradesh. But three issues have arisen from this Bill. मेरा एक प्रश्न है, अगर मंत्री जी उसका जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि वर्ष 2014 का बिल पारित हुआ था और आंध्र रीआर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) एक्ट बना था। उसमें प्रतिश्रुति दिया गया था कि यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी आन्ध्र प्रदेश में बनेगी। 5 साल तक आप सत्ता में रहे, लेकिन अभी हाल ही में, वर्ष 2018 में आपने सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तय किया। यूनिवर्सिटी का कुछ ट्रांजिट ऑफिस भी कहीं अनंतपुर में बना था, जो मुझे बताया गया है। 5 साल तक यह सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ी? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप अभी देर आये-दुरुस्त आये, हम इसका स्वागत करते हैं। There is another issue relating to Central Universities which Shri Suresh has already brought out in this House regarding the lack of faculties in Central Universities.

हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज नहीं मिलते हैं। मुझे याद आता है कि जिस समय डॉक्टर साहब प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने बार-बार कहा कि ज्यादा फैकल्टीज नहीं है, इसलिए हम 'यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग' ज्यादा खोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन, अगर हम आई.आई.एम., आई.आई.टी. और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खोल देते हैं तो उस हिसाब से हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। ज्यादातर लोग, जो बाहर पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, उन्हें हम देश में वापस ला सकते हैं। पिछले दस सालों से, वर्ष 2008-09 से यह शुरू हुआ। हरेक राज्य में आई.आई.टीज., आई.आई.एमस., सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने लगे, पर अब तक वही बुरी हालत है कि ज्यादातर फैकल्टीज इसमें नहीं आ रहे हैं। वे क्यों नहीं आ

रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है । यहां जैसे कम मिलते हैं या कोई और दिक्कतें हैं? क्या इसमें 'सिक्योरिटी ऑफ सर्विस' नहीं है? इसका क्या कारण है, इसे जरा देखने की जरूरत है । इस बार डिमांड-फॉर-ग्रान्ट्स में एच.आर.डी. मिनिस्ट्री पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने रिप्लाइ में यह बता सकते हैं ।

माननीय सभापति : महताब जी, आप जरा रुक जाइए ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदया, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिल का टाइम हो रहा है । अगर हाउस की सहमति हो और आपकी अनुमति हो तो बिल के पास होने तक इसका समय बढ़ा दिया जाए । इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिल ले लिया जाए ।

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदया, इसके लिए कोई टाइम फिक्स कर दीजिए । माननीय मंत्री जी का जवाब चार बजे तक हो जाए ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हाँ, वह हो जाएगा ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, जैसा कि प्रेमचन्द्रन जी ने मुद्दा उठाया था कि अभी फाइनेंशियल मुद्दा चल रहा है, उसके बीच में आप इस बिल को ले आए । इसमें रूल्स तोड़ा गया । फिर दूसरा रूल्स तोड़ने जा रहे हैं । प्राइवेट मेम्बर्स बिल साढ़े तीन बजे होना चाहिए । यह अधिकार है, इसे भी तोड़ने जा रहे हैं । यह ठीक नहीं है । इस तरह से रूल्स को तोड़ना ठीक नहीं है ।

माननीय सभापति: यह सदन की सहमति से हुई है । इसे चार बजे तक बढ़ा दिया गया है ।

श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ । दूसरा पॉइंट यह है कि इस बजट में, जिस पर कल हम लोगों ने चर्चा की, इसमें 'स्टडी इन इंडिया' की बात की गयी है । बड़े तौर पर यह घोषणा की गयी है । इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से आएँ और हमारे यहां हायर एजुकेशन के लिए हमारी

यूनिवर्सिटीज में पढ़ें । पर, पढ़ने के लिए जो माहौल बनना चाहिए, क्या वह माहौल हमारे सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए । यह जरूरी है कि ज्यादातर फैकल्टीज बाहर से आएँ । ज्यादातर बच्चे, जो बाहर जा रहे हैं, वे भी हमारे यहां पढ़ें ।

The last point is that when Mr. Arjun Singh was the Minister for HRD, at that time the concept of having Central Tribal University was mooted. Odisha had asked for having a Central Tribal University in Odisha because Odisha is the repository of more than 24 tribes in Odisha itself whereas in other States there are limited number of tribes. There are large number of people or tribals in those States no doubt, but the variety of tribes are more in Odisha. Subsequently, it went to Madhya Pradesh, and division of Madhya Pradesh also happened.

Now, the first Central Tribal University is in Madhya Pradesh, and I think that the second Central Tribal University is going to be established in Andhra Pradesh. My request to the hon. Minister is this. ...
(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे : आपके यहां ट्राइबल्स कम हैं । हम लोगों के राज्यों में ज्यादा हैं ।

श्री भर्तृहरि महताब: तेलंगाना में ट्राइबल्स ज्यादा हैं ।

मैडम, प्रकाश जावड़ेकर जी 3 दिसम्बर, 2018 को एक बिल लाए थे । इसमें लिखा गया था कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में होगी और वर्ष 2014 में जो एक्ट पास हुआ, उसमें लिखा गया था कि सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में भी होगी । मुझे पता नहीं कि तेलंगाना के कोई मेम्बर इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यह घोषणा हो चुकी है कि वारंगल में एक सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी । पर, अब तक वह नहीं हुआ है । हमारी डिमांड है कि जैसे हर एक स्टेट में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुल

रही है, उसी हिसाब से जो ट्राइबल डॉमिनेटेड स्टेट्स हैं, वहां भी सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए । उसके साथ ही मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी सिर्फ ट्राइबल्स के लिए नहीं है । उनके ऊपर जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, उनके रहन-सहन और उनकी सिविलाइजेशन के बारे में जो भी गवेषणा करना चाहते हैं, वह भी इस कर्रीकुलम में आए । आप इसमें एक परसेंटेज जैसे 60 पर्सेंट या 70 पर्सेंट रख सकते हैं । पर, बाकी लोग भी उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, इसके प्रति मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर अपने भाषण को विराम देता हूं ।

माननीय सभापति : आप लोग थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे, तो सभी लोग बोल लेंगे ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I stand here in support of this Bill. Justice delayed is justice denied. The Government could have brought this Bill because Andhra Pradesh and Telangana are going through difficult times. I am glad that देर आए दुरुस्त आए । It has come. I have two or three quick questions to ask. For me, education is something passionate, whether you sit on this side or that side. I don't think we disagree on anything when it comes to education. I think, the hon. Minister is bringing these Bills on piece by piece basis. Last week, we discussed the Central Universities Reservation for Teachers bill. Now, you have brought the Central Universities Bill. When we are looking at world class education, we need a New Education Policy for which the country is crying for. Why are you bringing these Bills on piece by piece basis? Why can we not have an integrated discussion on education and include all these Bills? I can't see why this is required in piece by piece basis. I urge the hon. Minister to bring a comprehensive education plan.

About autonomy, which even Shri Mahtab *ji* has talked about, we have to have education for all in an inclusive manner. We have brought the Right to Education for that. We brought it so that all children can study in an integrated manner. So, I would like to second Shri Mahtab *ji*'s point.

Shri Krishna spoke specifically about tribal university. I would like to state here that there is a Central Government Programme called Kasturba Gandhi *Balika Vidyalaya*, which is specifically for tribal girls and only from 5th standard to 8th standard. Why do you not extend that in the entire country up to 12th, and then integrate it? I think, that is the only way. यहां 8 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे और देश में जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रही है, इसका-उसका कोई लेना-देना ही नहीं है । I would like to urge the hon. Minister to kindly bring in a comprehensive plan; you take them from the 5th standard all the way up to post-graduation. Otherwise, it would not serve the purpose and would not serve the cause of making inclusive education for all.

Is this going to help in other States? Can we have an integrated programme so that we could have universities like this in the country, and in my State, Melghat in Amravati district, and Palghar in Thane district. Even from the State I come, there are tribes like the dhangar community. If there is an integrated programme, we would be happy to welcome it.

Who are the stakeholders whom you have consulted in forming this tribal university? World wide there is no great programme; there are a few in isolation. If you are starting something new, we are happy. But then we need to discuss the methodology of it, and the autonomy should not only be with the Vice Chancellor, it should be with the teachers and

students. Now, change in education globally is giving autonomy not to the institutions but to the students. So, I take this opportunity, and request the hon. Minister to form an

integrated programme for the entire country and to bring in a New Education Policy. Please do not get trapped into bureaucratic procedures by bringing one small piece of legislation. Please bring in the whole policy. We are happy to work as long as you want and take some good ideas but come up with a comprehensive programme. Thank you.

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदया, आपने मुझे इस अहम विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

महोदया, यह विषय हमारे राज्य से संबंध रखता है, इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट अलग से समय दीजिएगा । सबसे पहले हम दो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के डिवीजन के समय जो ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट इस सदन में बना था, उस टाइम कुछ इंस्टिट्यूशंस अस्टवाइल आंध्र प्रदेश के थे, वे सारे इंस्टिट्यूशंस हैदराबाद या उसके आसपास हैं, जो उस समय तेलंगाना में जा रहे थे । विद्या के रूप में जो स्वयंशक्ति आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए, उस हिसाब से ए.पी. रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में कुछ इंस्टिट्यूशंस रखे गए थे, उनमें से जो दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थीं,

वे सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैं । दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए आज सदन में विधेयक लाया गया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । अभी इस विधेयक पर बोलने के लिए बहुत सारे स्पीकर्स खड़े हुए थे, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा । आंध्र के विषय में हम जो दर्द सह रहे थे, उसको समझकर मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं । Like Supriya ji has also mentioned, justice delayed is justice denied. I would like to say that this should have been brought earlier itself. It should have been done faster but better late than never.

हमारे जो कंसर्न्स हैं, मैं उन्हें फिर दोहराना चाहता हूं । हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर चंद्र बाबू नायडू ने विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में रेल्ली विलेज में लगभग 525 एकड़ इसके लिए इंतजाम करके सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था । इसके लिए जो राशि दी गई थी, वह सिर्फ 18 करोड़ रुपये है । पिछली बार 10 करोड़ रुपये और इस बजट में 8 करोड़ रुपये । आपने अभी कहा है कि लगभग 420 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज़ के लिए एस्टिमेशन है । हम यही पूछेंगे कि कब तक यह टाइमलाइन में बनेगा? बहुत सारे इंस्टीट्यूशन्स प्रॉमिस किए गए थे । आईआईटी भी आंध्र प्रदेश के लिए प्रॉमिस किया गया था । इसे तिरुपति में लगाने के लिए हमने कोशिश की । इसके लिए जो बजट एस्टीमेट था, उसमें से बहुत कम प्रतिशत राशि अभी तक रिलीज़ की गई है । उसी हालत में अभी एनआईटी भी है, उसी हालत में आईआईएम है, जो विशाखपट्टम में खुला है । ये सभी टेम्परेरी कैम्पसेज़ में हैं । सिर्फ बिल लाने से ही हम पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे । जब तक पूरी तरह से ये नहीं बनते हैं, एक परमानेंट फैसिलिटी वहां पूरी तरह से खड़ी नहीं होती और फैकल्टी पूरी तरह से नहीं होती, तब तक इसका जो प्रभाव या महत्व है, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां अभी सिर्फ 6 कोर्सेज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं । यूनिवर्सिटी में फैकल्टी बहुत कम है । वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अगले 3 साल तक एक परमानेंट फैकल्टी वहां पर एस्टैबलिश भी नहीं हो सकती । हम यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह बने । इसकी एक

टाइमलाइन दी जाए कि कब तक ये सारे इंस्टीट्यूशंस आंध्र प्रदेश में बनेंगे? केवल ये दो इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं, वहां आईआईटी है, आईआईएम है, आईसीएआर भी हैं। ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं जिनके लिए हम टाइम लाइन चाहते हैं।

माननीय सदस्य रूडी जी हमारी काफी चिंता कर रहे थे। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर केवल .9 पर्सेंट है। उन्होंने 25 एमपी सीट्स और 175 एमएलए सीट्स पर प्रत्याशी खड़ा किया। ...(व्यवधान) वहां नोटा को 1.5 पर्सेंट वोट पड़े, उससे भी कम बीजेपी का वोट शेयर रहा। इसकी चिंता करिए कि यहां वोट क्यों नहीं मिले? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसे नहीं बोला जाता है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदया, आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच की गई। तमाम उन इलाकों के अन्दर, चाहे ट्राइबल बेल्ट हो या अंतिम छोर पर बैठे हुए नार्थ-ईस्ट के लोग हों, शिक्षा का सबको बराबर अधिकार मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर समाज शिक्षित हो, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ी पहल की। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर दो विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और दूसरा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का उपबंध किया। इसमें कहा गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन हेतु एवं उससे जुड़े विषयों के लिए अधिनियमित करता है। इस

बिल से निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी । इससे उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी । इससे जनता के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा ।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं । राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले । उस समय ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थीं । यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसी को मिलता है, तो उसे यूजीसी से अतिरिक्त ग्रांट भी मिलती है, सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, सारे सब्जेक्ट भी खुलते हैं, उसे राज्य सरकार की तरफ टकटकी लगाकर नहीं देखना पड़ता है । राज्य सरकार का हस्तक्षेप कम होता है । मैं इस बिल का, मेरी पार्टी आरएलपी की तरफ से समर्थन करता हूं । आपने यह जो पहल की है, इसका मैं समर्थन करता हूं । मंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि सेंट्रल स्कूल्स के अंदर 10-10 एडमिशनस कर दिए हैं और शायद अभी 50-50 एडमिशनस करने का मन बना रहे हैं । मंत्री जी का मन बहुत बड़ा है । हमारे झगड़े भी बहुत बढ़ गए हैं । एक हजार से ज्यादा लोग आ जाते हैं, उनमें से दस लोगों को सिलेक्ट कैसे करें?

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है । पांच सालों के अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल खुले । 87 सेंट्रल स्कूलों के लिए कैबिनेट मीटिंग में घोषणा भी की गई है । इनका बड़ा मन है । नवोदय विद्यालयों में एससी और एसटी को आरक्षण है लेकिन ओबीसी का आरक्षण नहीं है, आप इस पर भी गंभीरता से विचार करें । जनजातीय विश्वविद्यालय की बात इसमें कही गई है । जनजातीय विश्वविद्यालय में भारत की जनजाति कला एवं संस्कृति सहायता शिक्षा, अनुसंधान सुविधाओं का प्रौद्योगिकी के माध्यम से अग्रिम ज्ञान का समाधान करना है । गोवा के सिवाय सभी राज्यों में एक या दो अलग विश्वविद्यालय हैं । राजस्थान में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल रखा है । राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खोला जाए ।

माननीय सभापति: अब आपका हो गया, बैठ जाइए ।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदया, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2019 पर आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । यह निश्चित रूप से ऐसा विधेयक है जिसका सभी लोग समर्थन करेंगे और मैं भी समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदया, आप उनको बैठाइए, ऐसा थोड़े न होता है ।

माननीय सभापति : बैठ जाइए, आपका माइक बंद है, आपका भाषण रिकार्ड नहीं जा रहा है ।

...(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर : सभापति महोदया, इससे निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश की जनता और वहां की सरकार का जो कमिटमेंट था, वह पूरा होगा । सरकार की मंशा है कि यहां विदेशी छात्र भी पढ़ने के लिए आएंगे । सरकार ने भी बजट में इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये की घोषणा की है । इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा ।

मेरी चिंता का विषय दूसरा है । देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के सवर्णों के लिए दस परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है । मैं यह बात निराधार नहीं कह रहा हूं । मैं इस समाज की तरफ से इस बात को जानना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । मैं आपका और सदन का संरक्षण चाहता हूं । पूर्व में विश्वविद्यालय में आरक्षण था और फिर अचानक आरक्षण खत्म कर दिया गया । क्या विश्वविद्यालय में देश के सवर्ण समाज जो गरीब हैं, जिनको मोदी सरकार ने दस परसेंट आरक्षण दिया, वह सुरक्षित रहेगा या नहीं? वर्ष 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए 1-2 की सरकार थी, इस देश के साधन और संसाधन को ही नहीं लूटा गया बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण समाज के गरीबों का हक भी लूटा गया । वर्ष 2006 में अचानक सरकार ने

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को माइनोरिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया । इसके कारण वहां एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया । यह कहानी कोई नई नहीं है । इस देश में कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से ऐसा ही किया है । वर्ष 1920 में सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से खोले गए ।

देश में भ्रम फैलाया गया कि यह माइनोरिटी का विश्वविद्यालय है । जब देश आजाद हुआ, वर्ष 1951 में इसी सदन में एक संशोधन विधेयक लाया गया था । इस संशोधन विधेयक पर उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय माइनोरिटी का विश्वविद्यालय नहीं है ।

माननीय सभापति जी, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर जिस तरह से इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के हक के साथ खिलवाड़ किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से श्रीमन से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए ।...
(व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): माननीय सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं ।

Hon. Chairperson, I want to draw the attention of the hon. Minister. I will speak only for 2-3 minutes. I am not going to take much time.

Madam, I want to request the Minister to have a look at these two Reports, जो उनकी सरकार की है । डॉ. सत्यनारायण जटिया एचआरडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पिछले वर्ष के इकोनामिक सर्वे का चैप्टर 8 ट्रांसफार्मिंग साइंस एंड रिसर्च है, मैं चाहता हूं कि इसे देख लिया जाए । जटिया जी ने वैसे तो पांच-छः बातें कही हैं लेकिन इसमें दो मुख्य बातें कही हैं । First,

all over the country, there is a lot of shortage of funds. Secondly, there is distortion also. There are a large number of students under the State Universities but more funds are being given to the Central Universities. Hon. Minister, you have to look into the reason behind this and see whether you can make a balance between them. He has also mentioned that more than 40 per cent vacancies are there in the universities.

Madam, the hon. Minister has replied to a question on 4th July, itself आपने एडमिट किया है कि 17,834 पोस्ट्स में से 6719 खाली हैं । Then, you are saying that filling of vacancies is a continuous process. कन्टीनुअस होता है अगर रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट तो पांच से दस परसेंट होती है, 45 परसेंट नहीं होती है । This needs the attention of the Government. This is a very serious issue. ...(*Interruptions*)

Madam, this is my maiden speech. Please allow me. मैं पहली बार बोल रहा हूं, सुन लीजिए । I support you on this Bill because you are bringing this Bill for Andhra Pradesh. It is a good bill. हम पांच ट्रिलियन इकोनामी की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है । इंडिया पांच नहीं दस ट्रिलियन इकोनामी बने । The might of the West has been built with the help of research and innovation. It has not been made only by the funds. अपनी हालत बहुत खराब है ।

मेरा एक और निवेदन है, पंजाब यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, आप उसे देख लीजिए, इसकी हालत बहुत खराब है ।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (आगरा) : माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं:

खुदी सुकरात की हो याकि हो रूदाद गांधी की,
सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है ।

फटे कपड़ों में तन ढाके दिखता हो जहां कोई,
समझ लेना वह पगडंडी आदिवासी के गांव जाती है ।

माननीय मंत्री जी, आप फटे कपड़ों में तन ढांकने का असफल प्रयास करने वाले आदिवासी बच्चे-बच्चियों के लिए विश्वविद्यालय ला रहे हैं, वह भी थोड़ा-बहुत नहीं, 900 करोड़ रुपये का है ।

इसी को अंत्योदय कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, शिक्षा मिले ।

“उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिध चाकरी, भीख निदान ।”

हम गलतफहमी में रहे, खेती को उत्तम समझते हुए स्कूल नहीं गए । फिर किसी ने कह दिया और हमने मान लिया –

“पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे नवाब ।”

इसलिए हम नवाब बन नहीं पाए और खराब हो गए ।

15.54 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, विश्वविद्यालय ला रहे हैं और वह भी हैदराबाद में ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में ला रहे हैं । कृपा करके इस बात का ध्यान रखें कि यह दूसरा जेएनयू न बन जाए । कुछ एडमिशन में इस प्रकार की बाध्यताएं जरूर होनी चाहिए कि वहां नारे न लगे । जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशल्लाह इंशल्लाह आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बच्चों का एडमिशन हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए । अगर ये राष्ट्रवादी नहीं बन पाए तो क्या हम उनकी एमएससी, एलएलबी, पीएच.डी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेकर चाटेंगे? मुझे तो शर्म आती है कि जो लोग जेएनयू की

डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और इस प्रकार के नारे लगाते हैं, भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता-जागता एक राष्ट्रपुरुष है । कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मुकुट है और गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं । पंजाब और बंगाल इसके मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है, नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिम घाट इसके दो मजबूत जंघाएं हैं और कन्याकुमारी इसके पैर धोती है । इसका कंकड़-कंकड़ पत्थर है और बूंद-बूंद गंगाजल है । यह वंदन और अभिनन्दन की भूमि है । हम जिएंगे इसके लिए और मरेंगे इसके लिए । इसलिए आपको एडमिशन में कुछ शर्तें जरूर लगानी चाहिए । मैं नालन्दा, विक्रमशीला, तक्षशिला, वल्लभी, ओडिसा में जगतदला, अंदलपुरी की बात करता हूं । विक्रमशीला और तक्षशीला, दोनों के आचार्यों का, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, आज ये फल-फूल रहे हैं । ... (व्यवधान) मंत्री जी 1827 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1823 में आगरा कॉलेज आ गयी थी । It was affiliated with Kolkata University. हमारे विश्वविद्यालय में से कानुपर विश्वविद्यालय, साहू जी विश्वविद्यालय कानपूर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, झांसी, और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बन गये । हमारे विश्वविद्यालय से 26 विश्वविद्यालय बन गये और हम अभी वहीं पर हैं । हमारा केवल नाम बदला गया डॉ.बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय । आगरा दलित समाज की राजधानी है । बी.आर.अम्बेडकर साहब के नाम से विश्वविद्यालय है, जिनकी एटम बम से भी ज्यादा ताकत तीन शब्दों में है- शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो । बाबा साहेब ने यह क्यों नहीं कहा कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो । उन्हें पता था कि जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक संगठित नहीं हो सकते, संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष नहीं कर सकते । इसलिए बाबा साहेब का श्रद्धांजलि के तौर पर आगरा विश्वविद्यालय, जहां के दो राष्ट्रपति -वर्तमान राष्ट्रपति जी और शंकर दयाल शर्मा, तीन प्रधान मंत्री-चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी और दो मुख्यमंत्री- कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जी इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, यह विश्वविद्यालय सन् 1827 का है । अभी इसका केवल नाम रखा गया है । यदि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए । मेरा कॉलेज सन् 1823 का है, इसमें 10

हजार बच्चे हैं। नेट ने इसको बी डबल प्लस की मान्यता दी है, इसमें एक पैसा नहीं लगना है, इसके लिए जमीन बहुत है, बिल्डिंग बहुत है, केवल सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोलना और आगरा कॉलेज को डिम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): मैं बिल्कुल संकेत में दो बातें करूंगा। यह एक अच्छा बिल है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो भी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज बनती हैं, उनमें ट्राइबल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जरूर होने चाहिए। They have made their fortune in India. उनकी एथलेटिक्स भी सबसे बढ़िया है, इसलिए उनको स्पोर्ट्स में आगे लाया जाना चाहिए।

दूसरा, मैंने देखा है कि इंडिया के जो बड़े-बड़े कार्पोरेट हाउसेज हैं, they have made their fortune in India. मगर जब भी रिसर्च के लिए पैसे देने की बात आती है, तीन लोग जो यहां के सबसे रिचेस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को बिलियन्स ऑफ डॉलर दिये। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक और कार्पोरेट हाउस है, जिन्होंने एक स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी को 7 बिलियन डॉलर दिये। क्या मंत्री जी ऐसा प्रावधान करेंगे, कुछ परसेंट पैसा इंडियन यूनिवर्सिटीज को दें, क्योंकि ये पैसा तो यहां से बना रहे हैं, लेकिन ग्रांट जब देने की बात आती है तो फारेन यूनिवर्सिटी को देते हैं।

16.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: आप सभी सदस्यों की सहमति हो तो इस विधेयक को पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए, उसके पश्चात हम प्राइवेट बिल को ले लेंगे। हां, छः बजे के बाद भी प्राइवेट बिल ले सकते हैं। अध्यक्ष का निर्णय यहां पर अंतिम निर्णय है। अध्यक्षीय व्यवस्था अंतिम है तो समय बढ़ा देंगे। आप जैसे जो सदस्य सदन में बैठते हैं, उससे अच्छा लगता है। कई और भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं।

श्री जसबीर सिंह गिल: जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करते हैं, ऐसा प्रावधान किया जाए, जिससे ये हमारी इंडियंस यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करें और दूसरा प्रश्न यह है कि मैं तरन तारन जिले की बात करना चाहता हूं, जो एक पिछड़ा और बार्डर का एरिया है। वहां पर कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सिलेंस नहीं है और न ही कोई सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी तरन तारन जिले को दे दीजिए। अगर आप दे देंगे तो मैं और 25 लाख लोग, जो वहां के रहने वाले हैं वे भी कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 13 लोगों ने इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें श्री सुरेश जी, आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, सौगत राय जी, श्री कृष्ण जी, राहुल शेवले जी, बी. महताब जी, सुप्रिया सुले जी, राम मोहन नायडु जी, हनुमान बेनीवाल जी, विनोद कुमार सोनकर जी, अमर सिंह जी और जसबीर सिंह गिल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि इसमें समय की बाध्यता नहीं थी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी थे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी पूरी बाध्यता है आप संक्षिप्त कर दीजिए, सभी विद्वान हैं।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : सभी का अलग-अलग जवाब भी हो सकता था, क्योंकि यह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2014 का क्रियान्वयन है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य का पुनर्गठन होना खुशी की बात है। श्रीमन हमारे राज्य का भी पुनर्गठन हुआ है, लेकिन देश की आजादी के बाद किसी भी राज्य के पुनर्गठन में इतने कम समय

में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को स्थापित करने का काम केवल नरेन्द्र मोदी सरकार ने ही किया है । आंध्र प्रदेश 2014 में पुनर्गठित हुआ । उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले आई.आई.टी. खोला, एन.आई.टी. खोला, आई.आई.आई.टी. खोला, आई.सी.ए.आर. खोला, आई.आई.एम. को खोला और इन पांच महत्वपूर्ण संस्थानों के बाद आज इस बिल को विचार करने के बाद पारित करने का विषय आया है । मोदी जी की सरकार ने आज दो विश्वविद्यालयों सहित सात महत्वपूर्ण संस्थानों को आंध्र प्रदेश की जनता को समर्पित किए है । मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के लिए महताब जी ने कहा कि इसमें विलंब क्यों हुआ? सच तो यह है कि इस पर लगातार कार्यवाही होती रही । यदि समय होता तो मैं आदरणीय महताब जी को यह बताता कि इसके लिए लगातार इतना पत्राचार किया गया, लेकिन इसके लिए स्थान तो सरकार को ही उपलब्ध कराना था और जब स्थान सुनिश्चित होता या उपलब्ध होता, उसी के बाद इन संस्थानों को खोला जा सकता था ।

श्रीमन्, सुरेश जी यहां पर नहीं है, लेकिन उन्होंने और कई माननीय सदस्यों ने बजट पर शंका व्यक्त की है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि शिक्षा का वर्ष 2013-2014 का बजट देखा जाए तो 66 हजार करोड़ रुपये था, लेकिन इस समय मेरी गवर्नमेंट ने 95 हजार करोड़ का बजट दिया है और यदि हीफा जो बजट का हिस्सा नहीं है, यदि मैं उसको भी इसके साथ समाहित करूं तो 30 हजार करोड़ रुपये है । एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का बजट आज शिक्षा विभाग में है, इसलिए यह तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है ।

इन बड़े उच्च संस्थानों को स्थापित करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि बिहार में नालन्दा विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया कि ये सारी दुनिया के शीर्ष संस्थान थे । जब सारी दुनिया में शिक्षा का कोई नाम नहीं था, तब यही विश्वविद्यालय थे, जहां से रोशनी पूरी दुनिया में फैलती थी ।

श्रीमन्, जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में सौगत दा ने कहा कि उसमें प्रावधान नहीं है । ऐसी बात नहीं है, उसमें सभी प्रावधान हैं । विश्वविद्यालय में

क्या-क्या है, उसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय की चिन्ता प्रकट की है, मैं समझता हूँ कि विश्वभारती विश्वविद्यालय को हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ उभार रही है। विश्वभारती विश्वविद्यालय हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। माननीय सदस्य श्रीकृष्णा जी ने भी बचत के सन्दर्भ में कहा और उन्होंने एकलव्य का जिक्र किया, लेकिन वह व्यवस्था दूसरी योजना के तहत है और कभी जरूरत पड़ेगी, तब विस्तारपूर्वक भी कह दूंगा। राहुल जी ने विदेशी बच्चों और मुंबई विश्वविद्यालय की बात की है। हमारी पहली प्राथमिकता वहां की है।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पांच वर्ष पहले जहां हम विश्व स्तर पर रैंकिंग में नहीं थे, वहीं आज हमारी तीन संस्थाएं विश्व स्तर पर रैंकिंग में शिखर पर आ गई हैं। ये संस्थाएं हैं - आईआईटी, मुंबई, आईआईटी, दिल्ली और आईआईएससी, बेंगलुरु। ये तीन संस्थाएं पूरी दुनिया में रैंकिंग पर शिखर पर आई हैं और 23 संस्थाएं उस मानक को छू रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय महताब जी ने इस बात को कहा था। उन्होंने दूसरी बात स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में कही थी। आपको मालूम ही है और आप लोगों ने ही कहा कि हमारे अधिकांश बच्चे बाहर जा रहे हैं। विदेशों में बच्चे भी हमारे हैं और पढ़ाने वाले भी हमारे हैं। इसलिए स्टडी इन इंडिया का यह जो अभियान है, हम उन बच्चों को भी वापस लाएंगे, उन अध्यापकों को भी वापस लाएंगे और अपनी शिक्षा व्यवस्था को शिखर पर लेकर जाएंगे। यही इसका अभिप्राय है और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। दूसरे सदस्य ने भी पूछा कि इसमें क्या है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

सुप्रिया जी ने जिन नियुक्तियों की चर्चा की है, पिछली बार भी बात हुई और आपने कहा कि इसे पार्ट-पार्ट में क्यों ला रहे हैं। आपने कहा कि पहले हम रिक्त पदों को भरने के लिए बिल लाए, फिर दूसरा बिल लाए, फिर तीसरा बिल लाए, लेकिन हम लाए तो और इतने कम समय में ला रहे हैं। एक महीने में हम चार बिल ले आए हैं और लगातार ला रहे हैं। नियुक्तियों के बारे में हमने कह दिया है कि अगले छः महीने के अंदर सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह हमने बहुत

ताकत के साथ किया है और उसके लिए बिल लाए । जो भी संशोधन करना था, उसे भी किया । जिन माननीय सदस्य की यह चिन्ता है, स्वाभाविक चिन्ता है कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी । पहले उसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां थीं, अब उनको दूर कर लिया गया है और अब हम युद्धस्तर पर करेंगे ।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: क्या आपने सदन को इस बारे में एश्योर कर दिया है?... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: हां, कर दिया । मैंने एक्ट में ही बोल दिया था । फिर दोबारा बोल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सभी पदों को भरा जाएगा ।

माननीय सदस्य राममोहन नायडू जी ने जिस बात को कहा है, मैं बताना चाहता हूं कि यह टोकन मनी है । मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान है । इन दोनों संस्थानों के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई है । अभी हम 420 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये टोकन मनी के रूप में दे रहे हैं । चार वर्ष के अंदर इनको सुनिश्चित किया जाएगा । इसका समय निश्चित है । यह पहले चरण में, पहली किस्त के रूप में 420 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं । ... (व्यवधान) ठीक है, इसे कर लेंगे ।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य राममोहन नायडू जी की जो शंका है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है और इससे 100 प्रतिशत रिजल्ट आने वाला है ।

अगली बार आंध्र प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के सिवा कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने काम किया है और प्रमाण दे दिया है । हम ने यह काम किया है और यह उसके प्रमाण हैं । हम ने बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, हम ने काम करके दिखाया है और यह जो शुरुआत होगी, अब इसका रिजल्ट यहीं से शुरू होगा । हनुमान बैनिवाल जी ने चर्चा की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बात सही है कि शिक्षा पर हमारी सरकार ने बहुत धन्यवाद दिया है । चाहे

केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी हो या आईआईएम हो, किसी भी क्षेत्र में कोई राज्य अछूता न रहे, उन राज्यों को हम लोगों ने शीर्ष पर किया है। श्रीमन् विनोद सोनकर जी ने जो चिंता की है, उनकी चिंता अपने-आप में महत्वपूर्ण है। इसके लिए गवर्नमेंट भविष्य में क्या करेगी, इस पर आपने कुछ बिन्दु कहे हैं। आपने जो कहा है, उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। अमर सिंह जी ने सत्यनारायण जटिया जी की जो बात कही है, जिस गुलेटिन की बात की है, मैं समझता हूँ कि जो बजट की बात है, उसको मैंने बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन हां, हमारी गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा का सुदृढीकरण हो। बघेल साहेब ने जिस बात को कहा है, मैं समझता हूँ कि यह कोई जे.एन.यू. नहीं बने।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): जे.एन.यू. ने देश को बहुत कुछ दिया है।... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूँ कि जे.एन.यू. शोध के क्षेत्र में दुनिया में शिखर पर है। हम जे.एन.यू. को ठीक-ठाक रखेंगे, ठीक से रखेंगे। जे.एन.यू. सामान्य संस्थान नहीं है। जे.एन.यू. हमारे शोध में दुनिया में शिखर पर है। कुछ लोगों ने बदनाम किया है, यह सरकार उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी। हम जे.एन.यू. को बढ़िया तरीके से चलाएंगे। हम उसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे मालूम है कि जे.एन.यू. बहुत अच्छा संस्थान है। जे.एन.यू. शोध की दिशा में दुनिया अपना स्थान रखता है और उस जे.एन.यू. को बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा, उसको ऊपर उठाया जाएगा। राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर होने का विषय ही नहीं उठता है।

हमारे बड़े भाई ने कोचिंग की चिंता व्यक्त की है और मैं समझता हूँ कि जो प्रतिस्पर्धा में है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजों में काम नहीं हो रहा है। मैं अभी बताऊंगा कि दुनिया में हमारे कितने संस्थान शीर्ष पर जा रहे हैं। आज दुनिया की जितनी भी फैकल्टी हैं, अमेरिका के विश्वविद्यालय में देखा जाए, तो हमारे यहां से पढ़ने के बाद वहां फैकल्टी हो रही है, लेकिन हां, प्रतिस्पर्धा के कारण ये

कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, लेकिन यह सामान्यतः राज्य सरकारों का विषय है ।

श्रीमन् मैं यह समझता हूं कि गिल साहब ने भी पिछड़े क्षेत्र की बात की है । सामान्यतः सभी लोगों की चिंता शिक्षा की रही है और सरकार इस बात को लेकर निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित है कि इस देश की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा । यह विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पुनः स्थापित किया जाएगा । मैं सभी से बहुत विनम्रता से अनुरोध और प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षा का विषय है, इसलिए आंध्र प्रदेश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों को भी बधाई देना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक नई रोशनी, आज वहां उत्सव का माहौल होगा, इसलिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एकजुट हो कर, इस बिल को पारित करने का, मैं आप से अनुरोध करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:-

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

Clause 2

Insertion of new section 3C and 3D.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I did not speak on the Bill. I fully support the Bill. Access to higher education and quality of education both are equally important. This is a Bill that seeks to provide tribal community to have access to higher education for special arts, their talents and their tradition etc. Nowadays disciplines

also are being given the status of universities. So, my only submission through this amendment is to have an Ayurvedic University. There are medical universities, engineering college universities, there are the IITs. So, many universities in the name of their disciplines are being formed in the country. My suggestion, through this amendment, is to establish an Ayurveda University which shall be a body corporate to be known as the Central Ayurvedic University. The State of Kerala is a traditional centre for Ayurveda. Particularly Kollam, my Parliamentary constituency is the best place for having an Ayurveda University. That is the amendment I would like to propose. The hon. Minister for AYUSH is also here. I know it is very difficult to accept the proposal but if any assurance comes from the Government, then definitely I will withdraw my amendment.

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving my amendment No. 3 to clause 2 of the Bill. Let it be on record.

I beg to move:

Page 2, *after* line 4,--

Insert “3CA. There shall be established an Ayurveda University, which shall be a body corporate, to be known as the Central Ayurveda University, Kollam, Kerala, having its territorial jurisdiction extending to the whole of the State of Kerala as specified in the First Schedule to this Act to provide avenues of higher education and research facilities in Ayurveda”.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4

**Substitution of new schedule
for First Schedule.**

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, during the course of my speech I requested the hon. Minister to rename the university in Kasaragod in Kerala in the name of Sree Narayana Guru. I am moving my amendment no. 1 to clause 4 of the Bill.

Sir, I beg to move:

for “Central University of Kerala”

substitute “Sree Narayana Guru Central University of Kerala”.

(1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है जैसे मलप्पुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज आदि जगहों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का कैम्पस खोलने का इंतजाम किया गया था । मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं । यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी तो है, लेकिन कोई ढांचा नहीं बना है । जमीन वगैरह सब कुछ है, लेकिन जिस ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है । मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की फार्मर कैपिटल भी था । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मुर्शिदाबाद जिला, जो बहुत पिछड़ा जिला है, आपके एसपीरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मुर्शीबाद शामिल है । इस डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी और मुर्शीबाद सेंट्रल यूनीवर्सिटी द्वारा पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करने का सोचें ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 16, ---

के पश्चात्

“17. पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य” ।

अंतःस्थापित करें । (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या-2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving my amendment no. 4 to clause 4.

Sir, I beg to move:

Page 3, *after* line 5,--

Insert “12A. Kerala Central Ayurvedic University
Whole of the

Kollam, Kerala.

State of

Kerala.”

(4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

-

“खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़
दिए गए ।”

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं प्रस्ताव करता हूं

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

16.20 hrs

PRIVATE MEMBERS' BILLS- Introduced